न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 237 / 2023

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थी**
1. रावताराम पुत्र आसूराम 2. पूरोदेवी पत्नि आसूराम जाति मेघवाल निवासी टाको की ढाणी कागो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. श्रीमान तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री पाबुराम बेनीवाल प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक–

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि मौजा पायला कला पटवार क्षेत्र पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा संख्या 491/5 रकबा 8.0900 हैक्टेयर में अवस्थित है। कि उक्त खेत के रिकार्ड में प्रार्थी का वास्तविक नाम रावताराम पुत्र आसूराम, पूरो देवी पत्नि आसूराम के स्थान पर खेत में राजस्व की भूलवंश से पूरोदेवी पत्नि आसाराम, रावताराम पुत्र आसाराम गलत नाम दर्ज हो रखा है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर पूरोदेवी पत्नि आसाराम, रावताराम पुत्र आसाराम के स्थान पर रावताराम पुत्र आसूराम, पूरो देवी पत्नि आसूराम दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। जो विप्रार्थी बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया मौजा पायला कला पटवार क्षेत्र पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 491/5 रकबा 8.0900 हैक्टेयर में अवस्थित है। कि प्रार्थी का वास्तविक नाम रावताराम पुत्र आसूराम, पूरो देवी पत्नि आसूराम के स्थान पर खेत में राजस्व की भूलवंश से पूरोदेवी पत्नि आसाराम, रावताराम पुत्र आसाराम गलत नाम दर्ज हो रखा है। जिसके कारण प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं हो रहा हैं, आगे ओर कथन किया कि विप्रार्थी तहसीलदार सिणधरी ने अपने जवाब के सन्दर्भ में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम पूरोदेवी पत्नि आसाराम, रावताराम पुत्र आसाराम न होकर रावताराम पुत्र आसूराम, पूरो देवी पत्नि आसूराम है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में इन्द्राज पूरोदेवी पत्नि आसाराम, रावताराम पुत्र आसाराम के स्थान पर रावताराम पुत्र आसूराम, पूरो देवी पत्नि आसूराम दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

4. हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात व जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मौजा पायला कला पटवार क्षेत्र पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 491/5 रकबा 8.0900 हैक्टेयर में प्रार्थी का वास्तविक नाम रावताराम पुत्र आसूराम, पूरो देवी पत्नि आसूराम के स्थान पर खेत में राजस्व की भूलवंश से पूरोदेवी पत्नि आसाराम, रावताराम पुत्र आसाराम गलत नाम दर्ज हो रखा है, क्योकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रावताराम पुत्र आसूराम, पूरोदेवी पत्नि आसूराम है। इससे साबित होता है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम पूरोदेवी पत्नि आसाराम, रावताराम पुत्र आसाराम न होकर पूरोदेवी पत्नि आसूराम, रावताराम पुत्र आसूराम है। इस प्रकार प्रार्थी सही नाम पूरोदेवी पत्नि आसूराम, रावताराम पुत्र आसूराम करवानें का हकदार है। इसी प्रकार तहसीलदार सिणधरी ने अपने जबाव (जांच रिपोर्ट) में स्वीकार किया है कि प्राथीगर्ण का विवादित भूमि में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम पूरोदेवी पत्नि आसूराम, रावताराम पुत्र आसूराम है। एवं पत्रावली के सलंग्न सरकारी दस्तावेजात यथा–आधार कार्ड प्रति, वोटरकार्ड प्रति, परिवार राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम पूरोदेवी पत्नि आसूराम, रावताराम पुत्र आसूराम अंकित है, एवं विवादित भूमि के सहखातेदार विप्रार्थी संख्या 1 को कोई उजर–ऐतराज नहीं है। उपरोक्त विवेचन से साबित होता है,कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम मोहमद इन्द्राज हो रखा है, जबकि

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

प्रार्थी का वास्तविक नाम पूरोदेवी पत्नि आसूराम, रावताराम पुत्र आसूराम है। जो प्रार्थी विवादित भूमि में पूरोदेवी पत्नि आसाराम, रावताराम पुत्र आसाराम के स्थान पर पूरोदेवी पत्नि आसूराम, रावताराम पुत्र आसूराम दुरुस्ती करवानें के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा पायला कला पटवार क्षेत्र पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 491/5 रकबा 8.0900 हैक्टेयर **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि पूरोदेवी पत्नि आसाराम, रावताराम पुत्र आसाराम के स्थान पर पूरोदेवी पत्नि आसूराम, रावताराम पुत्र आसूराम दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी